

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद की विभिन्न योजनाओं में  
रिक्त आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियों को

# ई-नीलामी द्वारा पाने का सुनहरा अवसर

परिषद की लखनऊ, हरदोई, मेरठ, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, खुर्जा, सहारनपुर, खतौली, कानपुर, इटावा, झांसी, फतेहगढ़ (फर्रुखाबाद), आगरा, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, हाथरस, बड़ौत, कासगंज, चन्दौसी व रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, बदायूं, शाहजहांपुर, गोंडा, बाराबंकी, सुल्तानपुर, बहराइच, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, सीतापुर व अन्य शहरों में व्यावसायिक भूखण्ड/आवासीय भूखण्ड/प्रीमियम भूखण्ड/ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड/संस्थागत भूखण्ड/हेल्थ सेन्टर/नर्सिंग होम भूखण्ड/कम्युनिटी सेन्टर/पेट्रोल पम्प/होटल भूखण्ड आदि श्रेणियों की सम्पत्तियां रिक्त हैं।

ई-नीलामी द्वारा निस्तारित होने वाली  
सम्पत्तियों हेतु ई-नीलामी पोर्टल

<https://upavpauction.procure247.com>



पंजीकरण तथा  
टोकन धनराशि जमा  
करने की तिथि  
**16.05.2023 से  
29.05.2023**

ई-नीलामी तिथि  
**30.05.2023**

## नियम व शर्तें

(1) मा0 न्यायालय में विचारित प्रकरण तथा अन्य अपरिहार्य कारणों से प्रस्तावित सम्पत्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है। (2) आरक्षित श्रेणी की सम्पत्तियों हेतु आवेदकों द्वारा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र भी ई-नीलामी पोर्टल पर "Other Document" में अपलोड किया जाना होगा। (3) यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित श्रेणी की सम्पत्ति के विरुद्ध बोली में प्रतिभाग किया जाता है और बाद में यह पाया जाता है कि सम्बन्धित बोलीदाता उस आरक्षण श्रेणी का नहीं है तो अपूर्ण/अवैध आवेदन मानते हुए समस्त टोकन धनराशि जब्त कर ली जायेगी, बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा। (4) परिषद की समस्त प्रकार की आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियां परिषद विनियमावली में प्राविधानित व्यवस्था के अधीन "जहाँ है, जैसे है" के आधार पर निस्तारित की जाएंगी।

विस्तृत जानकारी परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

ई-नीलामी हेतु सम्पर्क करें: 8866287104, 9574524058

(सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:30 बजे तक)

टोल-फ्री: 1800-180-5333, 0522-2236803 (सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक)

ई-मेल: [tapan@tender247.com](mailto:tapan@tender247.com), [maresh.baku@procure247.com](mailto:maresh.baku@procure247.com),  
[helpdesk@procure247.com](mailto:helpdesk@procure247.com)

